डिवाईडर पर लगे गमले से टकराई बाइक

एक की मौत, दो घायल

डूंगरपुर (प्रासं)। कोतवाली थाना अन्तर्गत नवाडेरा मार्ग पर रविवार को एक अनियंत्रित मोटरसाईकिल डिवाईडर से गमले से जा टकराई, जिससे उस पर सवार तीन जनों में से एक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गये।

घटनाक्रम के अनुसार डायालाल पुत्र बदा खोखर निवासी झाफरा, लाल जी पुत्र हीरा कटारा निवासी बोडामली तथा जगदीश पुत्र कालु खोखर निवासी झाफरा गत रात्रि को अपनी मोटर साईकिल से डूंगरपुर से घर जा रहे थे कि नवाडेरा के पास एक निजी विद्यालय के सामनें डिवाईडर पर लगे गमले से जा टकराये।

घटना के बाद मौके पर क्षेत्रवासी एकत्रित हो गये और 108 की मदद से सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डायालाल पुत्र बदा खोखर की तो मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जगदीश को उदयपुर रैफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाने के द्वितीय अधिकारी बाबू लाल डामोर मौके पर पहुंचे। रविवार को मृतक के परिजनों के पहुंचनें के पश्चात पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपूर्द किया।

अकेलापन काटने शादी के लिए अखबार में दिया विज्ञापन

पत्नी की मौत के बाद दूसरी 'शादी' की चाह बन गई मौत का फंदा

मृतक ने लिखा सुसाईड नोट, युवती के खिलाफ मामला दर्ज

उदयपुर (नगर संवाददाता)। सरकारी स्कूल के प्रिसिंपल ने पत्नी की मौत के बाद अकेलेपन को दूर करने के लिए दूसरी शादी की चाह में समाचार पत्र में विज्ञापन दिया। इस पर उसका परिचय एक ठग युवती से हुआ। इस युवती ने इस प्रिसिंपल से अलग-अलग समय में 40 लाख रूपए ऐंठ लिए। बाद में युवती ने फर्जी चैक दिया, यह चैक अनादरित हो गया। इससे मानसिक अवसाद में आए प्रिंसिपल ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। मरने से पहले प्रिंसिपल ने अपने साथी अध्यापक को गले में फंदा लगा हुआ फोटो भी व्हाट्स एप्प किया। मृतक के पुत्र ने युवती के खिलाफ पिता को आत्महत्या के लिए विवश करने का मामला दर्ज करवाया है।

मामला अंबामाता थाना क्षेत्र के हर्ष नगर का है। हर्ष नगर निवासी मनोहरसिंह (55) पुत्र मदनसिंह जो धार स्थित सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत था। वर्ष 2016 में इनकी पत्नी मंजू देवी का निधन हो गया था। प्रिसिंपल पुत्र नवदीपसिंह, पुत्रवधू और बच्चों के साथ रहता है। अकेलेपन से निजात पाने के लिए मनोहरसिंह ने कुछ दिनों पूर्व समाचार पत्र में विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन को देखकर उससे कोटा निवासी निधी शर्मा उर्फ नेहा शर्मा ने सम्पर्क किया और इसके बाद से ही दोनों लगातार सम्पर्क में थे।

निधी शर्मा ने प्रिंसिपल से समय-समय पर पैसे उधार लिए और प्रिंसिपल ने भी लोगों से पैसे उधार मांगकर उसे दिए थे। बाद में जब उधार देने वाले लोगों ने पैसो का तकाजा करना शुरू कर दिया तो उसने इस युवती से सम्पर्क किया। इस युवती ने प्रिंसिपल मनोहरसिंह को एक चैक दिया। इस चैक को प्रिंसिपल ने बैंक में पेश किया तो वह अनादरित हो गया। जिससे अवसाद में आए इस प्रिंसिपल ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले एक सुसाईड नोट लिखा, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से इस युवती ने उससे 40 लाख रूपए ऐंठे और आखिर में फर्जी चैक दिया। उसने मरने से पहलें अपने साथी अध्यापक से चैट की थी और इस बारे में बताया। साथी अध्यापक भागता हुआ आया तब तक तो प्रिंसिपल मनोहरसिंह फांसी पर लटक गया। मृतक के पुत्र को जब पता चला तो उसने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकालकर चिकित्सालय में लेकर गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द किया। घटना की जानकारी पर मौके पर थानाधिकारी चैनाराम, डिप्टी महेन्द्र सहित थाने का जाब्ता पहुंचा था। मृतक के पुत्र ने युवती निधी शर्मा उर्फ नेहा शर्मा के खिलाफ पिता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज करवाया है।

आत्महत्या करने से पहले वाट्सअप पर भेजा फोटो एवं कोटा की नेहा शर्मा जिसे मौत का जिम्मेदार बताया गया है।

सम्पर्क में आई युवती ने ठग लिए 40 लाख

पुत्र को घर से जाने के लिए कहा

पुलिस के अनुसार युवती के प्रिंसिपल मनोहरसिंह के सम्पर्क में आने के बाद वह इस युवती पर इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपने पुत्र नवदीपसिंह को घर से जाने के लिए कह दिया। मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। जहां पर पुलिस ने समझौता करवाते हुए मनोहरसिंह को प्रथम मंजिल पर और पुत्र नवदीपसिंह को ग्राउण्ड फ्लोर पर परिवार के साथ रहने के लिए कहा। तब से दोनों पिता-पुत्र में संवाद नहीं हो रहा था।

साथी अध्यापकों से लेकर दिए पैसे

पुलिस के अनुसार मृतक मनोहरसिंह ने अपने स्कूल के साथी अध्यापकों से लाखों रूपए उधार लिए और इस युवती को दिए थे। युवती ने भी पैसे लेने के बाद कुछ दिनों बाद फिर से पैसे मांगे तो वह फिर से इधर-उधर से उधार लाया। जब कर्जदारों ने पैसा मांगा तो उसने भी युवती से पैसा मांगा। युवती ने फर्जी चैक पकड़ा दिया, जो बैंक में अनादरित हो गया।

साथी अध्यापक को भेजा फंदे वाला फोटो

मृतक प्रिंसिपल मनोहरसिंह ने आत्महत्या करने के लिए जो फंदा छत से लगाया था। उसे अपने गले में डालकर अपने साथी अध्यापक को व्हासट्स एप्प पर भेजा था। साथी अध्यापक ने यह देखा तो उसके होंश उड़ गए और वह भागता हुआ उसके घर पर गया। रास्ते में मृतक के पुत्र को फोन भी

न्यूज इनबॉक्स

रिद्धी-सिद्धी मल्टी सर्विसेज के खिलाफ मामल दर्ज

उदयपुर (नगर संवाददाता)। शहर के सविना थाना क्षेत्र में एक बंगाल के युवक ने रिद्धी-सिद्धी मल्टी सर्विसेज के खिलाफ लोन देने के नाम पर लाखों रूपए ऐंठने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोहम्मद सूफियान निवासी राधानगर गुरकक्षा रतुआ मालदा पश्चिम बंगाल ने रिद्धी-सिद्धी मल्टी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड़ अपेक्षा अपार्टमेंट इंडियन ऑयल डिपों के चैयरमेन ललित तिवारी सहित यहां पर काम करने वाले 9 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि उसे ढ़ाई करोड़ रूपए लोन की आवश्यकता थी। इस पर उसने इंटरनेट पर देखा तो पता चला इस सर्विसेज द्वारा कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। इस पर उसने सम्पर्क किया तो उससे सिक्योरिटी के नाम पर अलग-अलग समय में 22 लाख रूपए ले लिए। बाद में लोन के लिए लगातार सम्पर्क किया तो केवल आश्वासन मिलता रहा। इसके बाद आरोपियों से उसे लोन देने से इंकार करते हुए कुछ पैसे वापस दिए और बाद में कंपनी बंद फरार हो गए।

कार्यालय नगरपरिषद डूँगरपुर (राज.)
फोन (का) :- 02964-232459, फैक्स :- 02964-233690, Email ID :- npd.dpr@gmail.com
क्रमांक:- स्टोर/न.प.डूँ./2019-20/1210 दिनांक:- 05.07.2019

CORRIGENDUM

नगर परिषद द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 02/2019-20 कार्य संख्या:- (1) नगर परिषद क्षेत्र में एल.ई.डी. लाईट सप्लाई का कार्य ऑनलाईन निकाली गई है। पूर्व में ऑनलाईन कार्य जमा कराने की दिनांक 26.6.2019 से दिनांक 08.07.2019 कार्य जमा करने की अन्तिम तिथि रखी जाकर दिनांक 10.07.2019 को खोले जाने थे। प्रशासनिक कारणों से अब उक्त तिथियां इस प्रकार होगी। निविदा कार्य जमा कराने की तिथि 08.07.2019 के स्थान पर दिनांक 16.07.2019 सायं 6:55 तक होगी कार्यालय में जी.डी. दिनांक 17.07.2019 को सायं 6:00 बजे तक जमा की जावेगी एवं 18.07.2019 को सुबह 9:00 बजे से खोली जावेगी।
निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

सभापति नगरपरिषद् डूँगरपुर (राज.) | आयुक्त नगरपरिषद् डूँगरपुर (राज.)
राज. संवाद/सी/19-20/1240

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (मोती डूंगरी जोन) नगर निगम, जयपुर
(सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर)
क्रमांक: एक-29/एम.डी.जेड/जननि/2019-20/93 दिनांक: 01.07.19
ज.स.ज./2019/170 ई-निविदा सूचना संख्या 08 से 11/2019-20 2.07.19

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "AA", A" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम, जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से अधिशाषी अभियन्ता मोती डूंगरी जोन से संबंधित विकास कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। कार्यों की अनुमानित लागत टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.raj.nic.in तथा http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जाकर पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है। जिसका यूनीएन नम्बर JMC1920WSOB00233, 00234, 00235, 00236 है। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों एवं निविदा में कार्यादेश जारी करने से पूर्व पी.एफ./ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। नोट: अवकाश घोषित होने पर कार्यालय खुलने की आगामी तारीख मानी जायेगी।

अधिशाषी अभियन्ता (मोती डूंगरी जोन), नगर निगम, जयपुर
राज. संवाद/सी/1183/2019-20

निवेशकों को पैसे दिलवाने की गुहार, पोस्टकार्ड लिखो अभियान का आगाज

उदयपुर (वि)। आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव निवेशक हितार्थ संघर्ष समिति की जनरल मीटिंग प्रात: गुलाब बाग् में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटिड के निवेशकों की जनरल मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्टकार्ड लिखो अभियान की शुरुवात की गई जिसके अंतर्गत आगामी दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में काउंटर लगाकर अधिकाधिक पोस्टकार्ड जनता से लिखवाये जाएंगे।

पोस्टकार्ड में प्रधानमंत्री को आग्रह किया गया है कि वे विशेष प्रयास करके शीघ्रहि निवेशकों के पैसे लौटाने हेतु प्रबन्ध सुनिश्चित करवाएं। मीटिंग में सैंकड़ों निवेशकों ने पोस्टकार्ड लिखकर अभियान का आगाज़ किया जो शाम 5 बजे फतहसागर पर भी पोस्टकार्ड लिखवाए गए।

संघर्ष समिति के मुहम्मद हनीफ, हीरालाल सोनी, निर्भय सिंह राठौड़, मनोरमा कोठारी, सपना वर्मा, वैभव पुरोहित, ज्ञानेश्वर बंसल, राजेन्द्र शर्मा, जमाल मुहम्मद शेख, भरत कुमावत इत्यादि सदस्य मौजूद थे।

कुशलगढ़ में 8 जगहों पर ताले टूटे

कुशलगढ़(प्रासं)। रविवार मध्य रात्रि कुशलगढ़ में चोरों ने लगभग 8 जगहों पर ताले चटकाटे हुए नगदी और सामान पर हाथ साफ कर लिया। जानकारी मिलने पर नवनियुक्त थानाधिकारी हनुमंत सिंह सिसोदिया ने मौके पर पहुच कर जानकारियां एकत्रित की। चोर एक रेडिमेड कपड़े की दुकान के ताले तोड़ कर नगदी व कपड़े ले उड़े। चोर एक अन्य कपड़ा व्यापारी की दुकान से लगभग 50 हजार से अधिक के कपड़े , बरसातियां आदि लेजाने में कामयाब रहे।

चोरों ने एक किराना व्यापारी के गोदाम का ताला तोड़ा तथा तेल के 2 डिब्बे पार कर लिये। इनके अतिरिक्त पानी की मोटर व पट्रोल पम्प के पास स्थित एक केबिन को भी नहीं छोड़ा। चोरों की यह हरकतें कुछ जगहों पर लगे सीसीटीवी केमरों में कैद भी हुई। एक जगह पर तो एक चोर कुल्हाड़ी से केमेरा तोड़ता नजर आ रहा है। इस सम्बन्ध में अब तक 4 पीड़ितो ने ही मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी सिसोदिया ने आश्वासन दिया है कि सभी वारदातों का खुलासा शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

सिक्योरिटी के लिए चैक का दुरूपयोग करने का मामला

उदयपुर (नगर संवाददाता)। जिले के सेमारी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी कर चैक अनादरण करवाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ललित कुमार पुत्र रमेश चन्द्र कुम्हार निवासी ठोकर सेमारी ने उदयलाल पटेल, नीलेश दुधानी, भगवतीलाल तेली, ललित तेली, एवं नरेश तेली के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि वह मजदूरी अहमदाबाद करता है और वहीं रहता है। उसने बाइक ऋण पर ली थी, उसकी किश्तों का भुगतान करने व बैंक से नकदी लाने के लिए दुकानदार केजड़ सराड़ा निवासी किशोर तेली को ९ चैक दे रखे थे। छह माह पूर्व किशोर की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उसके भाई भगवतीलाल, ललित, नरेश ठोकर से दुकान खाली कर समान ले गए। इस दौरान आरोपियों को मिले उसके चैक को आरोपियों ने बैंक में प्रस्तुत कर अनादरित करवा दिए।

स्कूटी चोरी : इसी तरह शहर के हिरणमगरी थाने में मोती खड़ा सोलंकियों का वाड़ा गुड़ली मावली हॉल नाकोड़ा भैरव नगर प्रतापनगर निवासी गुलाबसिंह पुत्र मोहनसिंह ने अज्ञात चोर के खिलाफ गत दिनों सेक्टर 4 से स्कूटी चुरा ले जाने का मामला दर्ज किया।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी -27, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400 051
शाखा कार्यालय: प्रथम तल, 232-233 एसडीसी टॉवर, आम्रपाली सर्किल के पास में, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर-302021

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/जमानतदारों जिनका विवरण नीचे तालिका में वर्णित है, को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका दिनांक **28.09.2018** को **कोटक महिन्द्रा बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, बैंक के बकायों की वसूली के लिए "जहाँ है, जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर बिक्री की जाएगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण ज्ञात ऋणभार सहित, यदि कोई हो
सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है प्लॉट नं. 23, जमुना विहार, राम नगर एक्सटेंशन, जयपुर में स्थित जिसका क्षेत्रफल 130.47 वर्गगज तथा सम्पत्ति **की सीमाएं:**– पूर्व में: प्लॉट नं. 22 से जुड़ा, पश्चिम में: रोड़ 30–0", उत्तर में: रोड़ 30–0" चौड़ी, दक्षिण में: प्लॉट नं. 24 से जुड़ा

ऋणधारकों एवं जमानतदारों का नाम व पता	1. ई-नीलामी की तिथि व समय 2. ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति का ईएमडी 3. बोली वृद्धि
श्री राजेश गोयल पुत्र श्री बद्री प्रसाद गोयल व श्रीमती नीता गोयल पत्नी श्री राजेश गोयल दोनों निवासी: प्लॉट नं. 23, जमुना विहार, ज्योतिबा राव कॉलेज के पीछे, राम नगर, न्यु सांगानेर रोड़, जयपुर– 302006, **श्री राजेश गोयल पुत्र श्री बद्री प्रसाद गोयल यहां भी:** एम–27, राम नगर, पुलिस थाने के पीछे सोडाला, जयपुर– 302001, **यहां भी:** भरतपुर मिष्ठान भण्डार 31, बगड़िया भवन, जयपुर– 302001 ऋण खाता संख्या: **12785603** व **12637982** **कुल बकाया:** रुपये 51,66,361/– (रुपये इक्यावन लाख छियासठ हजार तीन सौ इकसठ मात्र) दिनांक 03.07.2019 तक एवं लागू होने वाले अनुबंध की दर से ब्याज के साथ में सभी लागतें, प्रभार व खर्चों के पूर्ण भुगतान होने तक।	1. ई–नीलामी तिथि: 26 जुलाई 2019 को दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे के मध्य व 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। 2. ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि केवाईसी के साथ: 24 जुलाई 2019 को सायंकाल 5.00 बजे तक (भारतीय समय के अनुसार) 3. निरीक्षण की तिथि: 19 जुलाई 2019 को प्रातः 11.00 से सायंकाल 4.00 बजे के मध्य (भारतीय समय के अनुसार)	1. आरक्षित मूल्य: रु. 50,00,000/– (रुपये पचास लाख मात्र) 2. धरोहर जमा राशि: रु. 5,00,000/– (रुपये पाँच लाख मात्र) 3. बोली वृद्धि राशि: रु. 25,000/– (रुपये पच्चीस हजार मात्र) एवं उसके गुणकों में।

धरोहर राशि का भुगतान **कोटक महिन्द्रा बैंक लि.** के पक्ष में, जयपुर में भुगतान योग्य डीडी के द्वारा अथवा खाता संख्या **06410157020021** व आईएफएससी कोड **KKBK0000958 कोटक महिन्द्रा बैंक लि. शाखा नरीमन पॉईंट, मुम्बई, शाखा कोड 0641** में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा। बिक्री के अंतर्गत परिसम्पत्तियों से संबन्धित किसी स्पष्टीकरण/अपेक्षा के लिए बोलीदाता सुश्री लक्ष्मी चौधरी मो. +91–7412032966 अथवा श्री रविन्द्र गोदारा मो. +91–9983999074 से सम्पर्क करें। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** देखें जो कोटक महिन्द्रा बैंक लि. की वेबसाईट अर्थात् **www.kotak.com** एवं/अथवा **https://kotakbank.auctiontiger.net,** देखें।

दिनांक: 09.07.2019
स्थान: जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

अजगर को रेस्क्यू कर छोडा वन में

चित्तौड़गढ़ (प्रासं)। शहर के बूंदी मार्ग स्थित एक खेत में अचानक विशाल अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। खेतो में काम करने के दौरान अचानक अजगर निकलने से महिलाओं में भय व्याप्त हो गया, जिसकी सूचना वन विभाग को मिलने के बाद वनकर्मियों ने मौके पर पहुंच अजगर का रेस्क्यू किया, तब जा कर लोगो ने राहत की सांस ली। रेसक्यू किये अजगर को वन क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया गया।

22 लाख के मुआवजे को लेकर बनी सहमति

निंबाहेड़ा (प्रासं)। वंडर सीमेंट में कार्यरत मजदूर की हादसे में मौत हो गईए मिली जानकारी के अनुसार शनीवार सायं निंबाहेड़ा सांकरिया निवासी पारस मेघवाल 32 वर्ष पुत्र धनराज वंडर सीमेंट में ठेकेदार के पास कार्य कर रहा था कि अचानक ऊपर से नीचे गिरने पर गंभीर घायल हो गया। जिसे घायल स्थिति में उदयपुर ले जायगा गया। रास्ते मे ही मजदूर की मौत हो गई। म्रतक के शव को निम्बाहेड़ा लाकर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी मिलने पर चिकित्सालय परिसर में स्थानीय लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। सदर थाना सी आई फूलचंद टेलर ने म्रतक के परिवार और ठेकेदार ;प्लांट प्रबंधनद्ध के मध्य करवाया सुलाह। वही बताया जा रहा है कि 22 लाख मुआवजे की बात पर दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया।

अंडरपास में भरा पानी, यह निकाला समाधान

भीण्डर (प्रासं)। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली मावली-बड़ीसादड़ी रेल लाइन का मीटरगेज से ब्राडगेज में परिवर्तन का कार्य चल रहा है। जिसमें करीब 55-60 नये अंडरपास बनाएं जा रहे है। जनता सेना ने पूर्व में भी रेलमंत्री को पत्र लिखकर अवगत करवाया था कि जो अंडरपास बनाएं गए हैं वह बहुत नीचे बनाएं गए है। जिससे बारिश के मौसम में पानी भरेगा व कुछ स्थानों पर छोटे अंडरपास बनाएं गए है जिससे उसके अंदर से बस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां निकलना मुश्किल होगा। वहीं कुछ जगह पर क्रासिंग का स्थान भी परिवर्तित किया गया है। परन्तु इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। अभी मानसुन से की शुरूआती बारिश ही हुई उससे करीब-करीब सभी अंडरपास में पानी भर गया है। तारावट, किकावास, नवानिया, खेरोदा, खेताखेड़ा व कई अन्य गांवों के ग्रामवासी पूर्व विधायक रणधीर सिंह भीण्डर से मिलकर समस्या का समाधान करवाने हेतु आग्रह किया। पूर्व विधायक रणधीर ने रेलवे अधिशाषी अभियंता और प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजु सोलंकी से सम्पर्क किया और इस समस्या से अवगत करवाया। जिस पर सोलंकी ने बताया कि कार्य शुरू हो गया हैं किसी भी अंडरपास में पानी भरा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस अंडरपास के आसपास में नदी, नाला या तालाब हैं तो उसमें हम पाइप लाइन से अंडरपास का पानी ले जाकर छोड़ देंगे। वहीं जिस अंडरपास के आसपास नदी, नाला, तालाब नहीं है वहां पर हम दो दो बोर करेंगे जिसमें उस पानी को डाल देंगे।

भीण्डर। भोपाखेड़ा रोड पर अंडरपास में भरा हुआ पानी।

एनीकट और बावड़ियों का किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश

छोटीसादड़ी (प्रात:काल संवाददाता)। जल शक्ति अभियान के तहत भारत सरकार के संयुक्त सचिव अनु नागर एवं उप सचिव रामअवतार मीणा रविवार को छोटीसादड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने नगर पालिका द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत श्मशान में स्थित बावड़ी का एमजेएसए प्रथम चरण अंतर्गत 50 हजार की लागत से हुए जीर्णोद्धार कार्य एवं नगर पालिका द्वारा पंचायत समिति भवन पर जल स्वावलंबन अभियान के तहत एमजेएसए प्रथम चरण अंतर्गत 2 लाख 60 हजार रुपये की लागत से बने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी बिंदुबाला राजावत,विकास अधिकारी मोहित दवे, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता दयाराम मीणा,नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता दुलीचंद सोलंकी, रेंजर अश्वनी प्रताप सिंह वनपाल श्यामसुंदर शर्मा आदि मौजूद थे।

मुथूट होमफाईन (इंडिया) लि.
कॉर्पोरेट कार्यालय : 1201 एवं 1202, 12 वी मंजिल, ए विंग, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई - 400 063.

मांग सूचना

सीक्युरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफफायनान्शिअल असेट्स ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफसीक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, 2002 अंतर्गत एवं सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3(1) सहवाचन अनुच्छेद 13 (2) अनुसार, अधोहस्ताक्षरित सीक्युरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफफायनान्शिअल असेट्स ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफसीक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, 2002 (सदर कायदा) अंतर्गत मुथूट होमफाईन (इंडिया) लि. (एमएचआयएल) के प्राधिकृत अधिकारी, सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 सहवाचन सदर नियम के अनुच्छेद 13(2) अनुसार प्राप्त अधिकार के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा निम्न निर्देशित अनुसार संबंधित मांग सूचना में रकम का पुन:प्रदान करने के लिए निम्न कर्जदार (सदर कर्जदार) को सदर ॲक्ट के अनुच्छेद 13(2) अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी, वरील अनुसार सूचना इस प्रकार दी जाती हैं की, सदर कर्जदार निम्न निर्देशित तिथि को सम्पूर्ण प्रदान होने तक सदर मांग सूचना में निर्देशित 2रा द. सा. दर से आगे के ब्याज के साथ निम्न निर्देशित रकम के अनुसार सदर सूचना के प्रकाशन तिथि से 60 दिन के अंदर एमएचआयएल का प्रदान करें एवं सदर कर्जदार के द्वारा कार्यान्वित किया हुआ अन्य दस्तावेज/लेखी के साथ कर्ज करार अनुसार प्रदान करें. कर्जे के पुन:प्रदान के लिए प्रतिभूती, निम्न मालमत्ता सदर कर्जदार के द्वारा अनुक्रमे एमएचआयएल द्वारा गिरवी रखी हैं.

कर्जदार का नाम/ एलसी क्र./शाखा	मांग सूचना कुल थकित रकम (रु.)	प्रतिभूत मालमत्ता का विवरण (स्थावर मालमत्ता)
श्रीम. रेणू कनवार (कर्जदार) **श्री. दशरथ सिंह** (सह-कर्जदार) एलसी क्र. 006-00601241 जयपूर शाखा	**28-03-19 रु.17,96,424/-**	प्लॉट क्र. सी-216-ए, स्कीम परशवनाथ एनक्लेव्ह, ब्लॉक सी, एचपी पेट्रोल पम्पजवळ, गाव चाटिका, संगनेर, जयपूर, राजस्थान - 302 029.
श्री. जतन सिंह नारूका (कर्जदार) **श्रीम. विणा देवी** (सह-कर्जदार) एलसी क्र. 012-00000050 अलवार शाखा	**15-04-19 रु.11,47,363/-**	प्लॉट क्र. 18ए, खासरा क्र. 382, जे.एस.फेरव्हील्स के सामने, गाव खुंडानपुरी, अलवार, राजस्थान - 301 001.
श्री. खुरखाण दास (कर्जदार) **श्रीम. समली दास** (सह-कर्जदार) एलसी क्र. 006-00000009 जयपूर शाखा	**15-04-19 रु.18,39,776/-**	घर क्र. 7-ए, लक्ष्मी नगर, नारायण कॉलनी, कृष्णा कॉलनी, मंडोरी वालो की बगिची ब्रह्मपुरी जयपूर, राजस्थान - 302 002.
श्री. सुबदीन (कर्जदार) **श्रीम. धाऊली** (सह-कर्जदार) एलसी क्र. 012-00000210 अलवार शाखा	**15-04-19 रु. 5,47,700/-**	प्लॉट क्र. 2, खासरा क्र. 542, धुगोर, ब्रिज के पास, अलवार, राजस्थान - 301 001.
श्री. रामेश्वर दयाळ (कर्जदार) **श्रीम. छत्तर सिंह** (सह-कर्जदार) एलसी क्र. 012-00000136अलवार शाखा	**02-05-19 रु. 8,20,279/-**	प्लॉट क्र. 12, खासरा क्र. 297, नमन हॉटेल के पास, गाव खुंडानप्री, अलवार, राजस्थान - 301 001.
श्री. संजय भारती (कर्जदार) **श्रीम. रिना भारती** (सह-कर्जदार) एलसी क्र. 012-00000149 एवं 012-00000150 अलवार शाखा	**07-05-19 रु.40,97,544/-**	3/590, काला कुआ, सरकारी अस्पताल एच बी दक्षिण पश्चिम के पास, ब्लॉक अलवार, राजस्थान - 301 001. उप निबंधक कार्यालय अलवार तहत पंजीकृत बिक्री करार क्र. बुक क्र. 1 अति. व्हॉल्म क्र. 3509 पृष्ठ 3509 पृष्ठ 328से 336अनु. सं. 2016000042 दि. 06.01.2016में निर्देशित.
श्री. प्रेम चंद (कर्जदार) **श्रीम. कमपुरी देवी एवं श्री. नवल किशोर कुमावत** (सह-कर्जदार) एलसी क्र. 006-00000225 जयपूर शाखा	**03-06-19 Rs. 14,29,714/-**	पट्टा क्र. 14, मिसाल क्र. 56, आबादी प्लॉट, कुम्हारो का मोहल्ल, ग्राम रनोली, सिकराई, दौसा, राजस्थान - 332 405.

अगर सदर कर्जदार द्वारा सदर एमएचआयएल का प्रदान करने में चूक हो गई हो तो, एमएचआयएल सदर कर्जदार की जिम्मेदारी पर सदर नियम के अनुच्छेद 13(4) एवं अन्य लागू नियम अंतर्गत उपरी प्रतिभूत मालमत्ता के संबंध में प्रक्रिया करेंगे, सदर कर्जदार द्वारा एमएचआयएल को लेखी स्वरूप में पूर्व सूचना दे अन्यथा बिक्री, किरायापट्टा एवं अन्य के द्वारा सदर मालमत्ता का हस्तांतरण करने में मंजूरी नही होगी. किसी भी व्यक्ती को सदर अॅक्ट एवं नियम के प्रावधान के अंतर्गत सदर अॅक्ट अंतर्गत प्रदानित कारवाई एवं कारावास सुनाने के लिए जिम्मेदार होगी.

दिनांक : 09.07.2019
ठिकाण : जयपूर

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
मुथूट होमफाईन (इंडिया) लिमिटेड के लिए